

गैरसायल तहसीलदार गडसरोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 0819 राजस्थान गू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिगे

कनाम

श्री गुलाबसिंह पत्रेसिंह

पटवारी हल्का गिराब

जाति राजपूत निवासी कुलडिवा
तहसील गडसरोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज मयूकाम गडसरोड में पेश हुई गैरसायल की रैप/अनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया साक्षिप्त में तथा इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गिराब के खसरा नंबर 752-रकवा ... 912-9 बीघा में से 20 बीघा किरम श्री गुजोवरजीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिगे नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तागिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त निवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर पन्द्रह सारु रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

टी. आर .ए. पटवारी हल्का निरीक्षक गू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 03-05-19 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडसरोड
तहसीलदार गडसरोड

जुमाना 50 फसल नि. 13800/-
कुल योग 13850/- जि. के पृष्ठ सं. 23
वर्ष 20/24/80 में इन्द्राज किया गया :


तहसील राजस्व लेखाकार